



प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनांक 16.04.2026

पुलिस अधीक्षक महोदया खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी ।

थाना सिंगाही पुलिस द्वारा, 01 वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक खीरी, डा0 ख्याति गर्ग द्वारा जनपद खीरी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी निघासन के कुशल मार्गदर्शन एवं प्रभारी निरीक्षक सिंगाही के नेतृत्व में आज दिनांक 16.04.2026 को थाना सिंगाही पुलिस द्वारा, थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 0005/2026 धारा 281 ,105 बीएनएस व 108 एम0वी0 एक्ट में वांछित अभियुक्त सावंत कुनार पुत्र भोला राम नि0 ग्रा0 बेलापरसुआ थाना चन्दन चौकी जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त को विधिक कार्यवाही पूर्ण कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1.सावंत कुनार पुत्र भोला राम नि0 ग्रा0 बेलापरसुआ थाना चन्दन चौकी जनपद खीरी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम: -

- 1.उ0नि0 श्री आशुतोष कुमार सिंह थाना सिंगाही जनपद खीरी ।
- 2.हे0कां0 बृजनाथ यादव थाना सिंगाही जनपद खीरी ।
- 3.कां0 पोपिल बंसल थाना सिंगाही जनपद खीरी ।

मिशन शक्ति 5.0 (द्वितीय चरण): थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा बाजारों/ सार्वजनिक स्थानों पर महिला सुरक्षा, सशक्तिकरण और कानूनी अधिकारों हेतु चलाया गया जागरूकता अभियान।



मिशन शक्ति फेज-5 के द्वितीय चरण के अन्तर्गत आज दिनांक 16.04.2026 को पुलिस अधीक्षक खीरी, डा0 ख्याति गर्ग के निर्देशन में थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा जागरूकता अभियान चलाते हुये महिलाओं एवं बालिकाओं को बाजारों, सार्वजनिक स्थानों, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में जागरूक किया गया। इस अभियान के माध्यम से सैकड़ों महिलाओं एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा, सशक्तिकरण, कानूनी अधिकारों तथा अपराधों से बचाव के उपायों के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। अभियान के दौरान महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर 181 - महिला हेल्पलाइन, 1090 - महिला शक्ति लाइन, 1098 - चाइल्ड हेल्पलाइन, 112 - इमरजेंसी हेल्पलाइन, 1076 - पुलिस कंट्रोल रूम आदि की जानकारी दी गयी। इसके अतिरिक्त, UPCOP ऐप के माध्यम से पुलिस सेवाओं का त्वरित लाभ उठाने तथा सोशल मीडिया पर व्याप्त साइबर अपराधों (फिशिंग, साइबर स्टॉकिंग, फर्जी प्रोफाइल/खातों से संबंधित धोखाधड़ी आदि) से बचाव के व्यावहारिक जानकारी दी गयी। महिलाओं को उनके कानूनी अधिकार POCSO एक्ट (बाल यौन शोषण से संरक्षण), दहेज निषेध अधिनियम, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, साइबर अपराधों से संबंधित सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की जानकारी प्रदान की गयी।

मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करने की दिशा में यह अभियान निरंतर संचालित है। इसका मूल उद्देश्य समाज में महिलाओं को सशक्त एवं सुरक्षित महसूस कराना तथा अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को मजबूत करना है। जनपद खीरी पुलिस सभी महिलाओं एवं बालिकाओं से अपील करती है कि वे किसी भी प्रकार की असुरक्षा या अपराध की स्थिति में तुरंत निकटतम पुलिस थाने या उपरोक्त हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करें। हम सब मिलकर एक सुरक्षित, सम्मानजनक एवं सशक्त समाज का निर्माण करें।

मिशन शक्ति 5.0 (द्वितीय चरण): थाना पढुआ पुलिस द्वारा बाजारों/ सार्वजनिक स्थानों पर महिला सुरक्षा, सशक्तिकरण और कानूनी अधिकारों हेतु चलाया गया जागरूकता अभियान।



मिशन शक्ति फेज-5 के द्वितीय चरण के अन्तर्गत आज दिनांक 16.04.2026 को पुलिस अधीक्षक खीरी, डा0 ख्याति गर्ग के निर्देशन में थाना पढुआ पुलिस द्वारा जागरूकता अभियान चलाते हुये महिलाओं एवं बालिकाओं को बाजारों, सार्वजनिक स्थानों, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में जागरूक किया गया। इस अभियान के माध्यम से सैकड़ों महिलाओं एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा, सशक्तिकरण, कानूनी अधिकारों तथा अपराधों से बचाव के उपायों के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। अभियान के दौरान महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर 181 - महिला हेल्पलाइन, 1090 - महिला शक्ति लाइन, 1098 - चाइल्ड हेल्पलाइन, 112 - इमरजेंसी हेल्पलाइन, 1076 - पुलिस कंट्रोल रूम आदि की जानकारी दी गयी। इसके अतिरिक्त, UPCOP ऐप के माध्यम से पुलिस सेवाओं का त्वरित लाभ उठाने तथा सोशल मीडिया पर व्याप्त साइबर अपराधों (फिशिंग, साइबर स्टॉकिंग, फर्जी प्रोफाइल/खातों से संबंधित धोखाधड़ी आदि) से बचाव के व्यावहारिक जानकारी दी गयी। महिलाओं को उनके कानूनी अधिकार POCSO एक्ट (बाल यौन शोषण से संरक्षण), दहेज निषेध अधिनियम, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, साइबर अपराधों से संबंधित सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की जानकारी प्रदान की गयी।

मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करने की दिशा में यह अभियान निरंतर संचालित है। इसका मूल उद्देश्य समाज में महिलाओं को सशक्त एवं सुरक्षित महसूस कराना तथा अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को मजबूत करना है। जनपद खीरी पुलिस सभी महिलाओं एवं बालिकाओं से अपील करती है कि वे किसी भी प्रकार की असुरक्षा या अपराध की स्थिति में तुरंत निकटतम पुलिस थाने या उपरोक्त हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करें। हम सब मिलकर एक सुरक्षित, सम्मानजनक एवं सशक्त समाज का निर्माण करें।

थाना शारदानगर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त इमरान खाँ पुत्र मंजनु खाँ को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक खीरी, डा0 ख्याति गर्ग द्वारा जनपद खीरी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल मार्गदर्शन एवं थानाध्यक्ष शारदानगर के नेतृत्व में आज दिनांक 16.04.2026 को थाना शारदानगर पुलिस द्वारा मु0सं0 6065/23 बनाम संजय कुमार धारा 138 एनआई एक्ट से सम्बन्धित वारण्टी अभियुक्त इमरान खाँ पुत्र मंजनु खाँ निवासी ग्राम बडागांव थाना शारदानगर जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारण्टी को विधिक कार्यवाही पूर्ण कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार वारण्टी का विवरण-

1. इमरान खाँ पुत्र मंजनु खाँ निवासी ग्राम बडागांव थाना शारदानगर जनपद खीरी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 ऋषिराज पाण्डेय थाना शारदानगर खीरी

2. का0 करन कुमार थाना शारदानगर खीरी

थाना पढुआ पुलिस द्वारा, मु0अ0सं0 225/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस से सम्बन्धित चोरी हुई एक अदद भैंस, एक अदद पिकअप व 13500 रु नकद बरामद करते हुए 05 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया ।



पुलिस अधीक्षक खीरी, डा10 ख्याति गर्ग द्वारा जनपद खीरी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी निघासन के कुशल मार्गदर्शन एवं प्रभारी निरीक्षक थाना पढुआ के नेतृत्व में आज दिनांक 16.04.2026 को थाना पढुआ पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 225/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस से सम्बन्धित 05 अभियुक्तगण 1.अमित कुमार पुत्र माखन निवासी प्रीतमपुरवा थाना निघासन जनपद खीरी 2.छुटकत्रे पुत्र खलील निवासी टापरपुरवा थाना पढुआ जनपद खीरी 3.नासिर पुत्र छुटत्रे निवासी बिनौरा थाना पढुआ जनपद खीरी 4.सुशील मौर्या पुत्र रामपाल मौर्या निवासी ग्राम हरिपुरवा थाना निघासन जनपद खीरी 5.हसीब पुत्र वारिस अली निवासी ग्राम छब्बापुरवा थाना मंझगई जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से एक अदद भैंस, एक अदद पिकअप नं0 UP32LN9854 व 13500 रु नकद बरामद किये गये । अभियुक्तों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही पूर्ण कर माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण

- 1.अमित कुमार पुत्र माखन निवासी प्रीतमपुरवा थाना निघासन जनपद खीरी
- 2.छुटकत्रे पुत्र खलील निवासी टापरपुरवा थाना पढुआ जनपद खीरी
- 3.नासिर पुत्र छुटत्रे निवासी बिनौरा थाना पढुआ जनपद खीरी
4. सुशील मौर्या पुत्र रामपाल मौर्या निवासी ग्राम हरिपुरवा थाना निघासन जनपद खीरी
- 5.हसीब पुत्र वारिस अली निवासी ग्राम छब्बापुरवा थाना मंझगई जनपद खीरी

बरामदगी

- 1.एक अदद पिकअप नं0 UP32LN9854
2. एक अदद भैंस
3. 13500 रु बरामद नकद

आपराधिक इतिहास अभियुक्त अमित कुमार पुत्र माखन

- 1.मु0अ0सं0 106/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना निघासन
- 2.मु0अ0सं0 276/15 धारा 302/201 भादवि थाना निघासन
- 3.मु0अ0सं0 225/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना पढुआ

आपराधिक इतिहास अभियुक्त छुटकत्रे पुत्र खलील

- 1.मु0अ0सं0 332/14 धारा 380/411 भादवि0 थाना निघासन,
- 2.मु0अ0सं0 423/14 धारा 14/148/149 भादवि0 थाना निघासन,
- 3.मु0अ0सं0 266/19 धारा 3/25 आर्मस एक्ट. थाना निघासन,
4. . मु0अ0सं0 403/20 धारा 3/25 आर्मस एक्ट. थाना निघासन,
- 5.. मु0अ0सं0 060/21 धारा 3/5/25 आर्मस एक्ट. थाना निघासन,
- 6.. मु0अ0सं0 185/21 धारा 3/25 आर्मस एक्ट. थाना निघासन,
7. मु0अ0सं0 391/22 धारा 3/25 आर्मस एक्ट. थाना निघासन,
8. मु0अ0सं0 300/25 धारा 305 बीएनएस0 थाना पढुआ,
9. मु0अ0सं0 318/25 धारा 305(a)/317(2) बीएनएस0 थाना पढुआ,
10. मु0अ0सं0 321/25 धारा 305(a)/317(2) बीएनएस0 थाना पढुआ,
11. मु0अ0सं0 065/25 धारा 3/25 आर्मस एक्ट. थाना पढुआ,
12. मु0अ0सं0 092/18 धारा 379/411/414 भादवि0 व 11 (क) पशु क्रूरता अधिनियम थाना धौरहरा,
- 13.मु0अ0सं0 227/24 धारा 380/411/413/457 भादवि0 थाना फूलबेहड़,
14. मु0अ0सं0 334/24 धारा 305(a)/317(2)/317(4)/3331(4) बीएनएस0 थाना फूलबेहड़,
15. मु0अ0सं0 135/24 धारा 380/411 भादवि0 व 3/25 आर्मस एक्ट. थाना शारदानगर,
16. मु0अ0सं0 181/24 धारा 305(a)/317(2)/331(4) बीएनएस0
- 17.मु0अ0सं0 225/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना पढुआ

आपराधिक इतिहास अभियुक्त नासिर पुत्र छुटत्रे

- 1.मु0अ0सं0 114/14 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना निघासन ,खीरी
- 2.मु0अ0सं0 07/15 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना निघासन ,खीरी
- 3.मु0अ0सं0 05/15 धारा 401 भादवि थाना निघासन ,खीरी
- 4.मु0अ0सं0 119/16 धारा 302/376 भादवि व 5/6 पाक्सो एक्ट थाना निघासन जनपद खीरी
- 5.मु0अ0सं0 92/17 धारा एनएसए थाना निघासन जनपद खीरी
- 6.मु0अ0सं0 117/23 धारा 8/20 NDPS ACT थाना पढुआ ,खीरी
- 7.मु0अ0सं0 356/24 धारा 3/5/8 गौ हत्या निवारण अधि0 थाना पढुआ, खीरी
- 8.मु0अ0सं0 358/24 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना पढुआ
- 9.मु0अ0सं0 158/24 धारा 4/25 आर्मस एक्ट थाना पढुआ
10. मु0अ0सं0 545/25 धारा 2 (बी)(17)/3 गैंगेस्टर एक्ट थाना पढुआ
- 11.मु0अ0सं0 225/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना पढुआ

आपराधिक इतिहास अभियुक्त सुशील मौर्या पुत्र रामपाल मौर्या

- 1.मु0अ0सं0 225/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस

आपराधिक इतिहास अभियुक्त हसीब पुत्र वारिस अली

- 1.मु0अ0सं0 182/23 धारा 392/411 भादवि थाना सिंगाही
- 2.मु0अ0सं0 183/23 धारा 307 भादवि थाना सिंगाही
- 3.मु0अ0सं0 189/23 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना सिंगाही
- 4.मु0अ0सं0 225/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना पढुआ

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण

- 1.प्रभारी निरीक्षक श्री दिनेश कुमार शर्मा थाना पढुआ जनपद खीरी
- 2.उ०नि० श्री जुबेर अहमद थाना पढुआ जनपद खीरी
- 3.हे०का० बसन्त कुमार तिवारी थाना पढुआ जपनद खीरी
- 4 .का० कृष्ण कुमार थाना पढुआ जपनद खीरी
- 5.का० चन्द्रमोहन त्यागी पढुआ जपनद खीरी
- 6.का० रचित कुमार थाना पढुआ जपनद खीरी

थाना मैलानी पुलिस द्वारा, बाकेंगज में अम्बेडकर जयंती के अवसर पर हुये विवाद में 13 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक खीरी, डा० ख्याति गर्ग द्वारा जनपद खीरी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी गोला के कुशल मार्गदर्शन एवं प्रभारी निरीक्षक मैलानी के नेतृत्व में आज दिनांक 16.04.2026 को थाना मैलानी पुलिस द्वारा, थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु०अ०स० 83/2026 धारा 191(2), 191(3), 190,326(F),109(1),310(2),121(1),132,324(5),61(2),126(2) बीएनएस, धारा 7 आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 1932, धारा 3 व 4 सार्वजनिक सम्पति नुकसान अधिनियम में एक नामजद अभियुक्त व प्रकाश में आए 12 अभियुक्तगण कुल 13 अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारशुदा अभियुक्तों द्वारा दिनांक 14.04.2026 को अम्बेडकर जयन्ती के अवसर पर बाकेंगज में हुये विवाद में पथराव आदि किया गया था । पूर्व में भी 19 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी है । गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुये अग्रिम कार्यवाही हेतु माननीय न्यायालय भेजा गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1.खूबचन्द पुत्र परसादीलाल निवासी ग्राम गिरधरपुर थाना मैलानी जनपद खीरी (नामजद)

प्रकाश में आए-

- 2.अवनीश पुत्र जमुना प्रसाद निवासी ग्राम गिरधरपुर थाना मैलानी जिला खीरी
- 3.आकाश पुत्र जमुना प्रसाद निवासी ग्राम गिरधरपुर थाना मैलानी जिला खीरी
- 4.इन्द्रेश सिंह पुत्र रमेश कुमार निवासी ग्राम कोठीपुर थाना मैलानी जिला खीरी
- 5.विजय कुमार पुत्र रामचन्द्र निवासी ग्राम कोठीपुर थाना मैलानी जिला खीरी

- 6.मुकेश उर्फ रुपेश पुत्र रामचन्द्र निवासी ग्राम कोठीपुर थाना मैलानी जिला खीरी
- 7.अनिकेत पुत्र रमेश कुमार निवासी ग्राम कोठीपुर थाना मैलानी जिला खीरी
- 8.पप्पू उर्फ रुपनरायण पुत्र सुरेश निवासी ग्राम कोठीपुर थाना मैलानी जिला खीरी
- 9.दीपक पुत्र रामआसरे निवासी ग्राम रमतलिया थाना मैलानी जिला खीरी
- 10.राजेश कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद निवासी ग्राम बंजरिया थाना मैलानी जिला खीरी
- 11.रामभरोसे लाल गौतम पुत्र स्व० चैतई निवासी ग्राम अमीनगर बाकेगंज थाना मैलानी जिला खीरी
- 12.इन्द्रपाल पुत्र सुकईलाल निवासी ग्राम रमतलिया थाना मैलानी जिला खीरी
- 13.पंकज कुमार पुत्र मुलई निवासी ग्राम ऐवीपुर थाना मैलानी जिला खीरी

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.उ०नि० जितेन्द्र सिंह यादव चौकी प्रभारी संसारपुर थाना मैलानी जनपद खीरी।
- 2.उ०नि० अबलीश कुमार चौकी प्रभारी कुकरा थाना मैलानी जनपद खीरी।
- 3.उ०नि० संतोष तिवारी चौकी प्रभारी बांकेगंज थाना मैलानी जनपद खीरी।
- 4.हे०का० देवेन्द्र शर्मा थाना मैलानी जनपद खीरी।
- 5.हे०का० श्याम कुमार वर्मा थाना मैलानी जनपद खीरी।
- 6.का० सौरभ कुमार थाना मैलानी जनपद खीरी।
- 7.का० दिनेश कुमार थाना मैलानी जनपद खीरी।
- 8.का० अंकित कुमार थाना मैलानी जनपद खीरी।
- 9.का० शैलेन्द्र कुमार थाना मैलानी जनपद खीरी।
- 10.का० परशुराम थाना मैलानी जनपद खीरी।
- 11.का० करन वर्मा थाना मैलानी जनपद खीरी।
- 12.का० पंकज तिवारी थाना मैलानी जनपद खीरी

थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा 03 वांछित अभियुक्तों को घटना मे प्रयुक्त एक कार के साथ गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक खीरी, डा0 ख्याति गर्ग द्वारा जनपद खीरी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण में व सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल मार्गदर्शन एवं प्रभारी निरीक्षक कोतवाली सदर के नेतृत्व में आज दिनांक 16.04.2026 को थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 235/2026 धारा 115(2)/351(3)/109(1)/191(2)/191(3)/190 बीएनएस में वांछित 03 अभियुक्तों 1.मनीष नायक पुत्र सतीश कुमार निवासी हरगोविन्दनगर कालोनी महेवागंज थाना कोतवाली सदर जनपद लखीमपुर खीरी 2.शिवम वर्मा पुत्र वेदप्रकाश वर्मा निवासी ग्राम पचकोरवा थाना कोतवाली सदर जनपद लखीमपुर खीरी 3.शैलेश वर्मा उर्फ छोटू पुत्र स्व0 भोगनाथ वर्मा निवासी मो0 गोविन्दनगर सलेमपुर कोन थाना कोतवाली सदर जनपद खीरी को घटना मे प्रयुक्त एक कार स्विफ्ट रजि0 नं0- UP32PD6784 रंग सिल्वर के साथ गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्तों को विधिक कार्यवाही पूर्ण कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

- 1.मनीष नायक पुत्र सतीश कुमार निवासी हरगोविन्दनगर कालोनी महेवागंज थाना कोतवाली सदर जनपद लखीमपुर खीरी
- 2.शिवम वर्मा पुत्र वेदप्रकाश वर्मा निवासी ग्राम पचकोरवा थाना कोतवाली सदर जनपद लखीमपुर खीरी
- 3.शैलेश वर्मा उर्फ छोटू पुत्र स्व0 भोगनाथ वर्मा निवासी मो0 गोविन्दनगर सलेमपुर कोन थाना कोतवाली सदर जनपद खीरी

बरामदगी का विवरण

अभियुक्तगण से घटना में प्रयुक्त एक कार स्विफ्ट रजि0 नं0- UP32PD6784 रंग सिल्वर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.निरीक्षक अपराध रवीन्द्र कुमार पाण्डेय कोतवाली सदर जिला खीरी
- 2.हे0का0 सुनील कुमार वर्मा कोतवाली सदर जिला खीरी
- 3.का0 शीतला प्रसाद कोतवाली सदर जिला खीरी
- 4.का0 योगेश वर्मा कोतवाली सदर जिला खीरी
- 5.का0 मनीष कुमार कोतवाली सदर जिला खीरी

AHT थाना खीरी द्वारा SJPU/AHT जनपद खीरी की मासिक समन्वय बैठक/, कार्यशाला (किशोर न्याय सीमिति मा0उच्च न्यायालय द्वारा जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP)) के अनुपालन में संगोष्ठी कक्ष रिजर्व पुलिस लाइन खीरी मे गोष्ठी आहूत की गई



आज दिनांक 16.04.2026 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक खीरी महोदय के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) महोदय की संरक्षण/अध्यक्षता एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी लाइन्स महोदय की उपस्थिति में SJPU व A.H.T.U की मासिक समीक्षा एव कार्यशाला/समन्वय गोष्ठी आहूत की गयी। जिसमें सी डब्ल्यूसी सी के एसपी0 सिंह अभियोजन विभाग से APO विजय कुमार , BSA office से अनुभव अवस्थी, जे00जे0बी0 श्री हरे राम ,जिला बाल संरक्षण इकाई से काउंसलर कय्यूम जरवानी, वन स्टाफ सेंटर रश्मि चतुर्वेदी,विजेता गुप्ता, श्रमविभाग से अजय कुमार, चाइल्ड लाइन खीरी से विभा सक्सेना ,सुमन, मानव सेवा संस्थान से अवधेश कुमार, महेश कुमार, संगठन का वॉलेट्री एक्शन से गोला राजबहादुर,इंद्रजीत,जीआरपी लखीमपुर खीरी से उ0नि0 विनोद कुमार लखीमपुर खीरी से समस्त बाल कल्याण अधिकारी अन्य विभागों के अधिकारीगण शामिल हुए जिसमें पूर्व में जारी किए गए कार्यवृत्त का अनुपालन के संबंध में चर्चा की गई। तथा किशोर न्याय समिति माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (sop) किशोर न्याय बोर्ड तथा संप्रेक्षण गृहो के मध्य आदेशों के संप्रेषण की प्रक्रिया और अधिक सुदृढ किये जाने तथा संप्रेषण ग्रहो में आवासित किशोरों के आयु निर्धारण ,जमानत स्वीकृत किये जाने /अस्वीकृत किए जाने सम्बन्धी आदेश,संचार प्रोटोकॉल आदि की प्रक्रिया के अनुपालन में सभी को पढकर सुनाया गया और 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया के अवसर पर बाल विवाह ना हो इसलिए उपस्थित सभी बाल कल्याण पुलिस अधिकारी कड़ाई से पालन करने के लिए कहा गया, थानों पर नियुक्त बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के समक्ष आ रही समस्या, एवं सुझाव पीड़ितों के अश्वासन, बाल गुमशुदा, बाल श्रम, नशा मुक्त अभियान, बाल विवाह, बाल भिक्षावृत्ति की रोकथाम, लैंगिक समानता, नारी शक्ति किशोर न्याय अधिनियम 2015 मे हुए नवीनतम संशोधन पोस्को को एक्ट के अभियोग पंजीकृत होने के 24 घंटे के अंदर सीडब्ल्यूसी को सूचित करना, पोस्को के मामले में फार्म ए व बी पुलिस द्वारा भरकर संबंधित को समय से भेजा जाना बाल कल्याण अधिकारी के कर्तव्य का पालन, जे.जे एक्ट के अंतर्गत सामाजिक पृष्ठभूमि, किशोर न्याय बोर्ड में पुलिस अधिकारियों रिमांड लेने हेतु सादे वस्त्रों में आने जे.जे एक्ट की धारा 24 आदि तथा पोक्सो एक्ट से संबंधित अभियुक्तों की माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त बेल नोटिस को बाल कल्याण समिति एवं वादी /पीड़िता को अंदर समय उपलब्ध कराना के संबंध में विस्तृत रूप से चर्चा की गई ।

थाना मोहम्मदी पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक खीरी, डा0 ख्याति गर्ग द्वारा जनपद खीरी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी मोहम्मदी के कुशल मार्गदर्शन एवं प्रभारी निरीक्षक मोहम्मदी के नेतृत्व में आज दिनांक 16.04.2026 को थाना मोहम्मदी पुलिस द्वारा मु0सं0 9188/23 धारा 420/504 भादवि में वारण्टी अभियुक्त प्रदीप कुमार पुत्र बांकेलाल निवासी ग्राम राजापुर बैनी थाना मोहम्मदी जनपद खीरी तथा मु0सं0 1440/2022 धारा 128 द0प्र0सं0 में वारण्टी अभियुक्त आखिरीजीत पुत्र रघुवर दयाल निवासी रधौला थाना मोहम्मदी जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्तों को विधिक कार्यवाही पूर्ण कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्तों का विवरण-

1. प्रदीप कुमार पुत्र बांकेलाल निवासी ग्राम राजापुर बैनी थाना मोहम्मदी जनपद खीरी
2. आखिरीजीत सिंह पुत्र रघुवर दयाल निवासी गाम रधौला थाना मोहम्मदी जनपद खीरी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 शिवबहादुर सिंह थाना मोहम्मदी खीरी
2. का0 प्रियक कम्बोज थाना मोहम्मदी खीरी
3. का0 अंकित कुमार थाना मोहम्मदी खीरी